

पत्र संख्या-11/आ0नी0-I-04/2016 सा0प्र0.....

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

बिजय कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम उम सीमा क्षांति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक-373 दिनांक-20.03.2019 के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-294 दिनांक-07.01.2016 द्वारा राज्य के सभी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन समर्पित करने की अधिकतम आयुसीमा निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। यह प्रावधान राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान रूप से अनुमान्य कराया गया है और यह प्रावधान राज्य के सभी अभ्यर्थियों को देय है।

चूँकि सभी राज्य कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए 60 वर्ष से अधिक छूट अनुमान्य कराया जाना प्रासंगिक नहीं है। जहाँ तक दिव्यांगता के आधार पर आयुसीमा में छूट एवं संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता का अधिकतम उम्रसीमा में छूट देने का प्रश्न है, एक अभ्यर्थी को दोनों प्रावधानों के अनुरूप छूट एक साथ उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नहीं है। अतएव दिव्यांगता के आधार पर दी जाने वाली अधिकतम आयुसीमा में छूट अथवा संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को दी जाने वाली छूट में से कोई एक ही प्रावधान के अन्तर्गत छूट प्रदान कराया जा सकता है।

कनीय अभियंता की प्रश्नगत नियुक्ति प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13062 दिनांक-12.10.2017 अथवा जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-2414 दिनांक-11.05.2015 द्वारा संविदा पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंता हेतु अधिकतम आयुसीमा में छूट के प्रावधान में से किसी एक ही छूट अभ्यर्थी को अनुमान्य कराया जाय एवं उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी एक प्रावधान के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने का विकल्प संबंधित अभ्यर्थी को चुनने की सुविधा दी जा सकती है।


विश्वासभाजन

ह0/-

(बिजय कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0नी0-I-04/2016 सा0प्र0.....6/97.....पटना-15, दिनांक-.....8.5.19.....

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


08.05.19.
सरकार के अवर सचिव।